**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 3933**

**सोमवार, 2 अप्रैल,2018/11 चैत्र, 1940 (शक)**

**राष्‍ट्रीय राजमार्गों के आस-पास अल्कोहल/शराब की बिक्री पर रोक**

**3933. श्री टी॰ जी॰ वेंकटेशः**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को राजमार्गों के आस-पास अल्कोहल/शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने हेतु उच्चतम न्यायालय की ओर से कोई निर्देश मिला है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने राजमार्गों के आस-पास अल्कोहल/शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रतिबंध का पर्यटन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री मनसुख एल. मांडविया)**

**(क) से (ग)**: जी,हां। इस मंत्रालय ने 2016 के सिविल अपील सं.12164-12166 (तामिलनाडु राज्‍य और अन्‍य बनाम के. बालू व अन्‍य) में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के आदेश, दिनांकित 15.12.2016 और 31.03.2017 के कार्यान्‍वयन हेतु ‘’राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर शराब की दुकान पर प्रतिबंध’’ के बारे में एक एडवाइजरी, दिनांकित 6 अप्रैल, 2017 और 1 जून, 2017 को जारी की है। 20,000 या कम आबादी वाले स्‍थानीय निकायों के मामलों में राजमार्ग से दूरी सीमा को 500 मी. से घटाकर 220 मी. कर दिया गया है। राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर चालकों द्वारा शराब का सेवन दुर्घटनाओं का एक मुख्‍य कारण है और प्रतिबंध सामान्‍यत: राष्‍ट्रहित में और विशेषत: सड़क प्रयोक्‍ताओं के हित में है।

\*\*\*\*\*